HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Misc 3rd Bail Application(Interim) No. 01/2026

IN

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 7906/2026
URN: CRLMB / 14459U / 2026

1. Ramkumar S/o Mohanlal, R/o Dagariya, Police Station Digod, District Kota Rural (Raj.) (At Present Accused Petitioner Confined In Special Central Jail Kota).
2. Mahaveer S/o Mohanlal, R/o Dagariya, Police Station Digod, District Kota Rural (Raj.) (At Present Accused Petitioner Confined In Special Central Jail Kota).

----Petitioners

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Anmol Dhakar
For Respondent(s)	:	Mr. R.S.Shekhawat, PP

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

03/07/2026

प्रार्थी–अभियुक्तगण की ओर से पुलिस थाना, उद्योग नगर जिला कोटा शहर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–615/2025 में प्रस्तुत तृतीय जमानत प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

प्रार्थना–पत्र संख्या 01/2026 प्रस्तुत कर प्रार्थी/अभियुक्त को अंतरिम जमानत पर मुक्त किए जाने का निवेदन किया गया है।

उक्त प्रार्थना–पत्र पर दोनों पक्षों की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान प्रार्थीगण–अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के पिता का दिनांक 01.07.2026 को देहांत हो गया है और उनके अंतिम क्रियाकर्म की रस्में करने के लिए प्रार्थीगण की उपस्थिति अनिवार्य है। उनके पिता के अंतिम क्रियाकर्म की रस्मों को

निभाने के लिए प्रार्थीगण को 15 दिवस की जमानत अंतरिम रूप से सुविधा प्रदान की जाए। वे उक्त रस्में करने के पश्चात सक्षम प्राधिकारी के समक्ष आत्मसमर्पण कर देंगे।

विद्वान लोक अभियोजक ने विरोध किया, परन्तु यह भी प्रकट किया कि न्यायालय के आदेश पर उन्होंने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत तथ्यों का सत्यापन करवाया तो उसमें यह पाया कि प्रार्थी के पिता मोहनलाल का देहान्त दिनांक 01.07.2026 को हो गया है।

दोनों पक्षों के तर्कों पर विचार किया गया। अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के समर्थन में प्रस्तुत तर्कों एवं दस्तावेजों तथा विद्वान लोक अभियोजक द्वारा प्रस्तुत उक्त तथ्यात्मक स्थिति को ध्यान में रखते हुए न्यायहित में प्रार्थीगण–अभियुक्तगण को अपने पिता की मृत्यु के पश्चात आवश्यक सामाजिक रस्मों के निर्वहन हेतु **सशर्त दिनांक 14.07.2026 तक** की अंतरिम जमानत की सुविधा प्रदान किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थीगण–अभियुक्तगण रामकुमार एवं महावीर की ओर से प्रस्तुत यह अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 01/2026 **इस शर्त पर कि अंतरिम जमानत की अवधि में वे कोई अपराध कारित नहीं करेंगे**, स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रत्येक प्रार्थी–अभियुक्त विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद एक लाख रूपये का बंधपत्र एवं पचास–पचास हजार रूपये की दो जमानतें इन शर्तों के साथ प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दे कि वह अंतरिम जमानत की अवधि समाप्त होने के पश्चात दिनांक **14.07.2026** को संबंधित कारागृह में स्वयं उपस्थित होकर समर्पण कर देगा तो उसे तब तक अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया जाए। आदेश की प्रति विद्वान विचारण न्यायालय को फैक्स/ईमेल के जरिये अविलम्ब आज ही प्रेषित की जाए। प्रार्थीगण–अभियुक्तगण द्वारा उक्त निर्धारित तिथि तक समर्पण नहीं किये जाने पर संबंधित कारागृह के सक्षम अधिकारी द्वारा विचारण न्यायालय/इस न्यायालय को अविलम्ब सूचित किया जाएगा।

(SHUBHA MEHTA),J

116/AJAY KUMAR SINGHAL/712